

ORDER SHEET 742-2016Rct

THE COURT - - - - -

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
27-12-16	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक उपाध्याय उप० आरोपी मायाराम गोहद जेल से मय जेल वारंट पेश की ओर से अधी० श्री के०के० शुक्ला ने उप० होकर मेमो प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।</p> <p>प्रकरण आज उर्पापण तर्क हेतु नियत है।</p> <p>उर्पापण पर उभयपक्षों को सुना गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 436 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोगपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया आरोपी पर आरोपित अपराध भादस की धारा 436 में आता है। भादस की धारा 436 के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रस्तुत प्रकरण द० प्र० स० की धारा 209 के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड की ओर सादर उर्पापित किया जाता है।</p> <p>आरोपी मायाराम निरोध में है अतः उसके जेल वारंट पर इस आशय की टीप अंकित की जाये कि प्रकरण को उर्पापित कर दिया गया है। अतः आरोपी को आगामी दिनांक 09/1/17 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के समक्ष उपस्थित रखा जावे।</p> <p>प्रकरण के उर्पापण की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं हैं।</p> <p>पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।</p> <p>प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक 09/1/17 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के पेश हो।</p> <p>सही—/ (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी० गोहद जिला भिण्ड म० प्र०</p>	

[illegible]